न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भंवर लाल मेहरा आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 33/2011/ जिला–अजमेर (2011/00043)

1. श्रीमती रूकमा पुत्री श्री नाथा
2. श्रीमती राधा पुत्री श्री नाथा
3. श्रीमती प्रेम पुत्री श्री निम्बा
4. श्रीमती सम्पत्ति पुत्री श्री निम्बा

समस्त जाति रावत निवासी माखुपुरा तहसील व जिला अजमेर।

.... अपीलार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती मगनी बेवा श्री निम्बा
2. बुद्धा पुत्र निम्बा
3. उदा पुत्र नाथा

समस्त जाति रावत निवासी माखुपुरा तहसील व जिला अजमेर।

4. तहसीलदार, अजमेर।

.... प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजथान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व
निर्णय न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर दिनांक 30–12–2010
अपील संख्या 12/2010 बउनवान श्रीमति रूकमा व
अन्य बनाम श्रीमती मगनी व अन्य

उपस्थित : 1. श्री अजीत सिंह राठौड़ अभिभाषक अपीलांट

निर्णय

दिनांक : 25–05–2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट्स द्वारा जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष नामान्तरकरण संख्या 34 दिनांक 06–01–1998 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम माखुपुरा स्थिति विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 1645 लगायत 1652, 1656, 1658 से 1660, 1662 से 1664, 1678, 1680 एवं 1691 कुल किता 18 कुल रकबा 32–10–10 बीघा के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार नाथा वल्द श्री मोती जाति रावत थे जिनका स्वर्गवास होने पर उनकी विरासत का नामान्तरकरण संख्या 7 दिनांक 26–10–85 को श्रीमती लाडी बेवा

नाथा एवं निम्बा एवं उदा पुत्रान श्री नाथा के नाम तस्दीक किया जाकर जमाबंदी में अमल दरामद कर दिया गया। तत्पश्चात श्रीमती लाडी एवं श्री निम्बा के फौत होने पर उनकी विरासत का नामान्तरकरण संख्या 34 दिनांक 6–1–98 को श्रीमती मगनी बेवा निम्बा, बुद्धा पुत्र निम्बा एवं उदा पुत्र नाथा के नाम तस्दीक किया जाकर जमाबदी में अमल दरामद कर दिया गया। तत्पश्चात उक्त नामान्तरकरणों की अपीलांट्स को जानकारी होने पर उक्त नामान्तरकरण 34 दिनांक 06–01–1998 के विरूद्ध न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30–12–2010 द्वारा मियाद बिन्दु पर ही अपील खारिज कर दी। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। प्रत्यर्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित। अतः अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान तर्क दिये कि नाथा पुत्र श्री मोती के सजरा अनुसार लाडी पत्नी नाथा (फौत) निम्बा पुत्र (फौत) उदा पुत्र नाथा, रूकमा एवं राधा पुत्री नाथा, सजरा अनुसार श्री नाथा की मृत्यु के बाद तस्दीक विरासती नामान्तरकरण संख्या 7 में रूकमा (पुत्री नाथा) एवं राधा (पुत्री नाथा) के नाम श्री नाथा की विरासत अनुसार नाम तस्दीक होना चाहिए तथा इसी प्रकार श्री निम्बा की विरासत के नामान्तरकरण संख्या 34 में प्रेम पुत्री निम्बा एवं सम्पत्ति पुत्री निम्बा के नाम श्री निम्बा की विरासत तस्दीक नहीं की गई जिसका नाजायज लाभ उठाते हुए श्रीमती मगनी, बुद्धा व उदा द्वारा विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 1691 में से 4–18–10 बीघा भूमि श्री जवाहर गुप्ता वगैरह को विक्रय कर दी जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 78 दिनांक 10–1–2001 तस्दीक किया गया। श्रीमती लाडी बेवा नाथा द्वारा खसरा नम्बर 1691 मिन में निहित श्रीमती लाडी बेवा नाथा के हिस्से की आराजियात की अपंजीकृत वसीयत श्रीमती प्रेमलता शर्मा को निष्पादित कर दी गई जिसके आधार पर केती के नाम पर नामान्तरकरण संख्या 82 दिनांक 2–6–2001 तस्दीक किया गया। जबकि विवादग्रस्त आराजियात में श्रीमती लाडी का इतना हिस्सा बनता नहीं था एवं विवादग्रस्त आराजियात में श्रीमती मगनी का 1/16, बुद्धा का 1/16 तथा 1/4 हिस्सा उदा का निहित था जिससे उक्त विक्रेतागण को हिस्से से अधिक भूमि बेचान/वसीयत करने का अधिकार नहीं था। नाथा पुत्र मोती की विवादग्रस्त आराजियात में 1/4 हिस्सा अपीलांट संख्या 1 का तथा 1/4 हिस्सा अपीलांट संख्या 2 का व 1/16 अपीलांट संख्या 3 एवं 1/16 अपीलांट संख्या 4 का हिस्सा निहित है। उक्त तथ्यों को नजरअन्दाज कर विरासतन नामान्तरकरण संख्या 7 एवं 34 विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि विवादग्रस्त आराजियात के रेकार्डेड खातेदार श्री नाथा वल्द मोती थे जो अपीलांट संख्या 1 व 2 के पिता तथा 3 लगायत 4 के

दादा थे जिनका स्वर्गवास उत्तराधिकार अधिनियम के प्रभाव में आने के पश्चात हुआ एवं निम्बा पुत्र श्री नाथा का स्वर्गवास भी उत्तराधिकार अधिनियम के प्रभाव में आने के पश्चात हुआ। जिससे विवादग्रस्त आराजियात में अपीलांट संख्या 1 व 2 का प्रत्येक का 1/4 हिस्सा तथा अपीलांट संख्या 3 लगायत 4 प्रत्येक का 1/16 हिस्सा निहित है लेकिन विरासती नामान्तरकरण संख्या 7 एवं 34 दोनों में ही अपीलांट्स का नाम श्री नाथा एवं श्री निम्बा की विरासत में तस्दीक नहीं किया गया। विवादग्रस्त आराजियात श्री नाथा की खातेदारी की आराजियात है जिसमें अपीलांट संख्या 1 व 2 श्री नाथा की पुत्रियां होकर तथा अपीलांट संख्या 3 व 4 श्री निम्बा पुत्र नाथा की पुत्रियां है जिससे अपीलांट्स का विवादित आराजियात में हक अधिकार एवं स्वत्व निहित है। उक्त तथ्यों को नजर अन्दाज कर श्री नाथा के विधिक वारिसान की जांच किये बिना नामान्तरकरण संख्या 34 तस्दीक किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि विवादग्रस्त आराजियात में सम्मिलित खसरा नम्बर 1691 रकबा 16–13–10 बीघा में श्रीमती लाडी बेवा श्री नाथा अकेली का 9 बीघा भूमि का हिस्सा नहीं बनता था इसके बावजूद उसके द्वारा 9 बीघा भूमि जरिये अपंजीकृत वसीयत श्रीमती प्रेमलता शर्मा को वसीयत करना बताते हुए नामान्तरकरण संख्या 82 तस्दीक किया गया है जबकि उक्त आराजियात में अपीलार्थीगण का भी हिस्सा निहित है। इसी प्रकार निम्बा के वारिसान तथा श्री उदा द्वारा खसरा नम्बर 1691 में से 4–18–10 बीघा भूमि श्री जवाहर गुप्ता को विक्रय की गई है जबकि उक्त आराजियात में भी अपीलार्थीगण का हिस्सा निहित है। जिससे वसीयत एवं उसके तहत तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 82 तथा विक्रय पत्र दिनांक 6–12–2000 तथा उसके आधार पर तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 78 में अपीलांट्स के हक अधिकार एवं स्वत्व होने से नामान्तरकरण संख्या 34 काबिल निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि तथाकथित वसीयत दिनांक 9–6–93 एवं विक्रय पत्र दिनांक 6–12–2000 अपीलांट्स द्वारा निष्पादित नहीं किये गये थे जबकि विवादग्रस्त आराजियात में अपीलांट्स का हक अधिकार एवं स्वत्व निहित होने से उक्त दोनों दस्तावेजात यथा वसीयत एवं विक्रय पत्र अपीलांट्स के हक, अधिकार एवं स्वत्वों पर प्रभावशून्य है। विवादग्रस्त आराजियात अपीलांट्स की पुश्तैनी आराजियात है जिसमें श्री नाथा के स्वर्गवास होने पर अपीलांट्स संख्या 1 लगायत 2 के स्वत्व एवं श्री निम्बा के फौत होने पर अपीलांट्स संख्या 3 लगायत 4 के स्वत्व स्वतः ही निहित हो गये लेकिन राजस्व एजेन्सी द्वारा मृतकों के समस्त वारिसान की जांच किये बिना धारा 133 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों को नजर अन्दाज कर विरासतन नामान्तरकरण तस्दीक कर दिये। उक्त त्रुटिपूर्ण नामान्तरकरणों के आधार पर विवादग्रस्त आराजियात में निहित अपीलार्थीगण के हक एवं अधिकार कतई समाप्त नहीं होते है। अपीलार्थीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील के साथ मियाद प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया किन्तु प्रत्यर्थीगण द्वारा ना तो मियाद प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया एवं ना ही कोई काउन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। ऐसी

स्थिति में मियाद प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों के विपरीत कोई जवाब एवं साक्ष्य नहीं होने के कारण तथा गुणावगुण पर प्रकरण अपीलार्थीगण के हक में होने से तथा पूर्ण संतोषप्रद कारण अंकित करने के बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मियाद बिन्दु पर ही अपील निरस्त कर कानूनी भूल की है।

उनका यह भी तर्क है कि विवादग्रस्त आराजियात अपीलार्थीगण की पुश्तैनी आराजियात है जिसमें अपीलार्थीगण के विवाह होकर अपने ससुराल निवास करने के पश्चात भी निहित काश्तकारी स्वत्व समाप्त नहीं होते है एवं ना ही भाईयों एवं क्रेतागण में निहित हो सकते है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया प्रकरण गुणावगुण पर अपीलार्थीगण के पक्ष में है तथा अपीलार्थीगण को विवादित नामान्तरकरणों एवं विक्रय तथा वसीयत बाबत दिनांक 4–2–2009 को जानकारी हुई। उक्त जानकारी से अन्दर मियाद अपील जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा यह कहीं भी अंकित नहीं किया गया कि मियाद प्रार्थना पत्र पर किस कारण विश्वास नहीं किया जा सकता। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की अपील में धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू होना मानकर पुश्तैनी आराजियात में निहित अपीलांट्स के काश्तकारी स्वत्व राजस्व एजेन्सी द्वारा कारित त्रुटि के आधार पर तस्दीक नामान्तरकरणों की आड़ में अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है। तहसीलदार, अजमेर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 82 दिनांक 02–06–2001 को बिना विधिक वारिसान की जांच किये अवैध रूप से पारित किया गया।उक्त अवैध तथा गैर कानूनी आदेशों पर मियाद अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है फिर भी उक्त तथ्यों को नजर अन्दाज कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिविरूद्ध निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30–12–2010 तथा तहसीलदार, अजमेर द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 34 दिनांक 06–01–1998 को निरस्त किया जाकर विरासत का नामान्तरकरण अपीलांट के नाम तस्दीक किया जाकर अभिलेख में अपीलांट्स का नाम बहैसियत खातेदार दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने अपील के तथ्यों के आलौक में अपीलांट के विद्वान अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी तथा सम्बन्धित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे स्पष्ट होता है कि विवादग्रस्त आराजियात के मूल खातेदार श्री नाथा वल्द श्री मोती थे जिनके स्वर्गवास के पश्चात कानूनन उनकी दो पुत्रियां क्रमशः रूकमा एवं राधा जो कि विवाहित है, का नाम भी विरासतन तस्दीक किया जाना चाहिए था। तहसीलदार, अजमेर द्वारा विवादग्रस्त आराजियात के मूल खातेदार नाथा की मृत्यु के पश्चात फौती का नामान्तरकरण तस्दीक करते समय विधिक वारिसान की जांच किये बिना नामान्तरकरण केवल नाथा की पत्नी लाडी एंव निम्बा , उदा पि0 नाथा के नाम ही तस्दीक किया गया। तहसीलदार, अजमेर द्वारा विधिक वारिसानों की जांच किये बिना नामान्तरकरण तस्दीक किया है जो विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है। अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा अपीलांट्स श्रीमती रूकमा व राधा नाथा वल्द मोती की विधिक व जायन्दा पुत्री है इस बाबत कोई जांच किये

बिना केवल मियाद बिन्दु पर ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। अपीलार्थीगण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी की वारिस है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा–4 के अनुसार हिन्दू पुरूष की मृत्यु पश्चात उसकी विधवा, पुत्रियां एवं पुत्र उसकी सम्पत्ति के बराबर हिस्सेदार रहेगें। इसी प्रकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 33, 34 एवं 59 के अनुसार विवादग्रस्त आराजियात के भूधारक की मृत्यु होने पर उसके जाईन्दा पुत्र, पुत्री एवं विधवा तथा विधवा की मृत्यु पश्चात उसके हक की सम्पत्ति उसके पुत्र एवं पुत्रियों में बहिस्सा बराबर आयेगी। इसके अलावा यह विधि मान्य तथ्य है कि नामान्तरकरण कार्यवाही एक फिस्कल प्रोसिडिंग है जिससे किसी के हक–हकूकों का निर्धारण नहीं किया जा सकता। अधिनस्थ न्यायालय को विवादग्रस्त आराजियात के मूल खातेदार नाथा वल्द श्री मोती के विधिक वारिसानों की जांच कर विधिसम्मत निर्णय पारित करना चाहिए था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मियाद बिन्दु पर ही अपना निर्णय पारित कर दिया जो उचित नहीं है। तहसीलदार, अजमेर द्वारा अपीलार्थीगण को बिना सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये ही आक्षेपित आदेश पारित कर दिया ऐसे आदेशों को चुनौती देने की कानूनन कोई समयावधि नहीं है अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाया जाना चाहिए था। अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा उक्त महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दुओं को नजरअन्दाज कर विधिविरूद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विशलेषण के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय न्यायालय (जिला कलक्टर) अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30–12–2010 अन्तर्गत अपील संख्या 12/2010 बउनवान श्रीमति रूकमा व अन्य बनाम श्रीमती मगनी एवं अन्य तथा तहसीलदार, अजमेर द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 34 दिनांक 06–01–1998 विधिविरूद्ध होने से निरस्त किया जाता है और प्रकरण तहसीलदार, अजमेर को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजियात के मूल खातेदार श्री नाथा के समस्त विधिक वारिसानों की जांच कर उन्हें विधिवत सुनवाई का अवसर देकर नाथा वल्द श्री मोती की विवादग्रस्त आराजियात की मौके पर कब्जे एवं दस्तावेजी साक्ष्यों की जांच कर नये सिरे से नामान्तरकरण संबंधी आदेश पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 25–05–2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर